कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 762/11–सी–FP/UP/Rail/29433/2017, लखनऊः दिनांकः अक्टूबर 09 ,2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त,
वाराणसी।

विषयः– जनपद–वाराणसी में इलाहाबाद–वाराणसी रेलवे ट्रैक का दौहरीकरण हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 101 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–995/29–1, दिनांक–05.10.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है तथा संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु पूर्ण क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। अतः पूर्ण क्षेत्रफल अंकित करते हुये संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित सूचीं संलग्न है किन्तु Girthwise enumeration list ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार संलग्न नहीं है। अतः तदानुसार संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
4. प्रस्ताव के साथ संलग्न सीडी में प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map की kml file नहीं है।
5. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों के अनुरक्षण के स्थान 09 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ही संलग्न किया गया है तथा प्राक्कलन में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल एवं प्राक्कलन की सम्पूर्ण धनराशि को Round में त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है एवं प्राक्कलन में भैसोड़ा वन ब्लाक के स्थान पर गहिला वन ब्लाक अंकित किया गया है। अतः प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो के अनुरक्षण क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपरोक्तानुसार संशोधित करते हुये संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा हार्ड कापी भाग–2 में भी धनराशि को संशोधित करें।
6. Eco Class के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु क्षेत्रफल एवं गणना त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः संशोधित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
7. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–26 एवं 55 से 72 पर लगे प्रमाण पत्रों में प्रस्तावित वनभूमि का पूर्ण क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। अतः संशोधन करते हुये पूर्व में अपलोड त्रुटिपूर्ण प्रमाणों पत्रों को ऑनलाइन से डिलीट करते हुये पुनः संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर अपलोड करें।
8. प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण की KML फाइल के परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल गहिला वन ब्लाक में खेत दिखाई दे रहें है तथा भैसोड़ा वन ब्लाक में वृक्ष एवं हरियाली पूर्व से ही मौजूद है। अतः चयनित स्थलों का निरीक्षण कर यथासंशोधित अभिलेख संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।

Scanned by CamScanner

आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अत्यन्त लापरवाही दिखाते हुये प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव किसी भी स्तर से जाँचा नहीं गया है। कृपया भविष्य में प्रस्ताव भेजते समय उचित परीक्षण करा लें। इससे न केवल अनावश्यक समय की बरबादी होती है, अपितु राजकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब भी होता है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

5/10

**(पंकज मिश्र)**
मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– / 11–सी– **FP/UP/Rail/29433/2017,** दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।
2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बी0एस0बी0–इलाहाबाद डबलिंग प्रोजेक्ट, रेलवे विकास निगम लि0, वाराणसी।

**(पंकज मिश्र)**
मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner